अनुसूची १४ - फार्म सं० ५६३

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ ।
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

ई0सी0 एक्ट वाद संख्या–99/2011

धारा–6 (A) ई0सी0 एक्ट अन्तर्गत

राज्य

बनाम

मेसर्स विकास ट्रेडिंग कम्पनी, गलाबबाग, पूर्णियाँ
प्रो0 विकास कुमार अग्रवाल, पिता–श्री बद्री अग्रवाल, साकिन गुलाबबाग, थाना–सदर, जिला–पूर्णियाँ .....विपक्षी

आ दे श

जिला कृषि पदाधिकारी, पर्णियाँ के अभिलेख संख्या 9/2011–12 के आधार पर विपक्षी के विरूद्व या वाद प्रारम्भ किया गया हैं जिला कृषि पदाधिकारी, द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी के उर्वरक अनुज्ञप्ति को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के उल्लंधन के आरोप में निलंबित में निलंबित कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। विपक्षी द्वारा स्पष्टीकरण नहीं देने के कारण दिनांक 03.12.2010 को खुदरा उर्वरक अनुज्ञप्ति को रद्द कर भंडार में शेष उर्वरक को 30 (तीस) दिनों के अन्दर बिक्री कर प्रतिवेदन देने की मांग की गयी थी छापामारी की तिथि तक विपक्षी द्वारा बिक्री कर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया और बिना उर्वरक अनुज्ञप्ति के व्यवसाय की सुचना पर छापामारी के क्रम में भडांर में 190 बोरा एन0के0पी0, 540 बोरा एम0ओ0पी0, 135 बोरा अमोनियम सल्फेट एवं 475 बोरा मैग्नेशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, आर्सेनिक एव खल्ली पाया गया। अतः जप्त उर्वरक को राज्यसात करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कथन है कि उसे खुदरा उर्वरक अनुज्ञप्ति संख्या 18/2008–09 प्राप्त था, जिसकी अवधि दिनांक 27.07.2011 तक थी। जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा बिना किसी किसान के शिकायत के उनके दुकान का अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया और विपक्षी को भंडार पंजी केश मेमो कार्यालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। विपक्षी भंडार पंजी एवं केशमेमो कार्यालय में जमा कर दिये किन्तु उन्हे प्राप्ति रसीद नही दी गया। जिला कृषि पदाधिकारी, द्वारा विपक्षी को अपने साक्ष्य या स्पष्टीकरण का मौका दिये बगैर दिनांक 03.12.2010 को अनुज्ञप्ति रद्द कर भंडार में शेष उर्वरक को 30 (तीस) दिनों के बहन की शादी दिनांक 26.01.2011 को होना निश्चित था। फलस्वरूप विपक्षी अपने बहन की शादी की तैयारी में व्यस्त और इस बीच यह भंडार में बचे उर्वरक को बचे नहीं सका। उल्लेखनीय है कि जिला कृषि पदाधिकारी, ने उर्वरक की कालाबाजारी का आरोज लगाया है, जबकि अनुज्ञप्ति रद्द करने की तिथि जितन उर्वरक भडार में था, उतना ही उर्वरक छापामारी की तिथि को था। फिर कालाबाजारी कैसे संभव है। इस संबंध मे विपक्षी ने माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी नं0 394/2011 दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णियाँ को जप्त उर्वरक

अनुसूची १४ - फार्म सं० ५६३

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ ।
1	2	3

को मुक्त करने को आदशे पारित गया। विपक्षी गलत तरीके से अनुज्ञप्ति रद्द करने के आदेश के विरूद्व भी माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी नं0 11899/2011 दायर किया है, जो वर्तमान में लंबित है। विपक्षी ने किसी प्रकार उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंधन नही किया है।

अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि अपने स्तर से वाद की सुनवाई कर जप्त उर्वरक का राज्यसात करने की कार्यवाही को बन्द करने की सुना की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 02.03.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उनके प्रतिउत्तर में वर्णित बातों को पुनः दोहराया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय में उनके पक्ष में आदेश किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णियाँ द्वारा विना कोई आधार के उनके अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया। विपक्षी के द्वारा कालाबाजारी करने संबंधी कोई भी सबूत उपलब्ध नहीं है इसलिये जप्त खाद को राजसात नही करने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि विपक्षी के आदेश पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, के द्वारा खराब नही होन से बचाने हेतु सुरक्षित राशि लेकर इसे विमुक्त किया गया। इसको विपक्षी द्वारा अपने पक्ष में आदेश होने की वात कही जा रही है, जो गलत हैं। जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 03.11.2010 को ही उनका अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने के बाबजूद भी विपक्षी के द्वारा व्यवसाय बन्द नहीं करने के कारण जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा पुनः दिनांक 04.03.2011 छापामारी किया गया एवं प्राथमिकी दर्ज किया गया।

जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ के द्वारा पारति आदेश का अवलोकन किया गया। इसमें के बाद स्पष्ट जिक्र है कि विपक्षी के अनुज्ञप्ति रद्द करने के बाबजूद बिना उर्वरक अनुज्ञप्ति के व्यवसाय करने की सूचना पर छापामारी किया गया एवं इसमें उर्वरक जप्त किया गया।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों अभिलेख मे उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं उभय पक्ष को सुनने के बाद स्पष्ट हे कि विपक्षी के द्वारा बिना उर्वरक अनुज्ञप्ति के व्यवसाय किया गया, जो स्पष्ट रूप से कालाबाजारी के श्रेणी में आता हैं। इसलिये आवेदक के आवेदन के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जप्त किये गये उर्वरक राजसात करने योग्य है। तद्नुसार इसकी स्वीकृति दी जाती है। जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ को आदेश दिया जाता है कि राजसात किये गये उर्वरक को बिक्री कर बिक्री राशि चलान द्वारा कोषागार में जमा कर चलान कि प्रति समर्पित करेगे। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/5

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

30/5

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ